रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 574] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 19, 2016/श्रावण 28, 1938
No. 574] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 19, 2016/SRAVANA 28, 1938

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 805(अ).—कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारुप जिसमें केंद्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम, 1937 में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा-14 की अपेक्षानुसार ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के पश्चात् उक्त प्रारुप पर विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, तो उसे महानिदेशक नागर विमानन, सफदरजंग हवाईअड्डा के सामने, नई दिल्ली-110003 को भेंजे;

उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के पश्चात् उक्त प्रारुप नियमों के बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेप या सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारुप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (.....संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 में, --

(क) नियम 3 में, खंड (17) (सा.का.नि 232 (अ) तारीख 19 मार्च, 2007 द्वारा लोपित) के पश्चात निम्नलिखित खंड अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(17क) रक्षा विमान क्षेत्र"उस विमान क्षेत्र से अभिप्रेत है जो भारतीय वायु सेना, भारतीय नौ सेना या भारतीय थल सेना के स्वामित्व में है और उसके द्वारा प्रचालित है;";

(ख) नियम 78 में,-

(i) उप-नियम (1) में, ''कोई विमान क्षेत्र नहीं'' शब्दों के स्थान पर ''रक्षा विमान क्षेत्र से भिन्न कोई विमान क्षेत्र नहीं'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए;

(ii) उप-नियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

''(1क) किसी रक्षा विमान क्षेत्र, का उपयोग किसी अनुसूचित विमान परिवहन सेवा द्वारा अवतरण या प्रस्थान के नियमित स्थान के रूप में तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि वह महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार प्रमाणित नहीं कर दिया जाताः

परंतु इस उप-नियम में निहित अन्य बात रक्षा विमान क्षेत्र पर ऐसी अवधि के लिए लागू नहीं होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाए; यदि ऐसी अनुसूचित विमान परिवहन सेवा वायुयान (..... संशोधन) नियम, 2016 के प्रारंभ होने की तारीख से उस विमान क्षेत्र पर पहले से प्रचालित की जा रही है।

[फा. सं. एवी.11012/4/2005-ए]

अरूण कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणः- मूल नियम तारीख 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना संख्या वी-26 द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 10 मई, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या.सा.का.नि. 494(अ), द्वारा किया गया।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August , 2016

G.S.R. 805(E).—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General of Civil Aviation, Opposite Safdarjung Airport, New Delhi-11 0003;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Aircraft (..... Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937, -

(a) in rule 3, after clause (17) [omitted by GSR 232(E), dated 19th March, 2007], the following clause shall be inserted, namely:-

"(17A) Defence Aerodrome" means an aerodrome owned and operated by Indian Air Force, Indian Navy or Indian Army;";

(b) in rule 78, -

(i) in sub-rule (1), for the words, "No aerodrome", the words, "No aerodrome other than a defence aerodrome" shall be substituted;

(ii) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(1A) A defence aerodrome shall not be used as a regular place of landing and departure by a scheduled air transport service, unless it has been certified as per the requirements specified by the Director-General:

Provided that nothing contained in this sub-rule shall apply to a defence aerodrome, for such a period as may be notified by the Central Government in the Official Gazette, if such scheduled air transport services are already operating to that aerodrome on the date of commencement of the Aircraft (Amendment) Rules, 2016.".

[F. No. AV.11 012/4/2005-A]

ARUN KUMAR, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, vide notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended *vide* G.S.R. 494(E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 10th May, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKH NATH YADAV
Digitally signed by GORAKH NATH YADAV
Date: 2016.08.22 16:33:27 +05'30'